



## मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

क्रमांक 652/12/2009/चयन

इन्दौर, दिनांक 23.09.2011

### चयन परिणाम

आयोग के विज्ञापन क्रमांक 01/चयन/2009/ दिनांक 19.01.2009 एवं शुद्धिपत्र क्रमांक 01/01/चयन/2009/19.01.2009/22.01.2009 के अन्तर्गत उच्च शिक्षा विभाग के तहत प्राध्यापक, इतिहास के कुल-21 पद (अनारक्षित-10, अ.जा. - 04, अ.ज.जा-04 एवं अ.पि.वर्ग-03) जिसमें से महिला आवेदकों के लिए अनारक्षित-03, अ.जा. - 01, अ.ज.जा-01 व अ.पि.वर्ग-01 तथा 01 पद अनारक्षित (विकलांग) श्रेणी हेतु आरक्षित) विज्ञापित किये गये थे। उक्त पदों की पूर्ति के लिए दिनांक 19 एवं 20 सितम्बर, 2011 को आयोजित साक्षात्कार के परिणाम स्वरूप चयन सूची निम्नानुसार घोषित की जाती है :-

### मुख्य सूची

स.क.	रोल नम्बर	नाम	लिंग	
1	70	डॉ. कुमार रतनम्	M	
2	16	डॉ. (श्रीमती) वन्दना गुप्ता	F	प्रावधिक
3	79	डॉ. उषा अग्रवाल	F	
4	83	डॉ. (श्रीमती) अमिता सिंह	F	
5	106	डॉ. प्रेरणा ठाकुर	F	
6	166	डॉ. अलकेश चतुर्वेदी	M	
7	93	डॉ. अजय कुमार घोष	M	
8	74	डॉ. (श्रीमती) श्रद्धा दुबे (शुक्ल)	F	प्रावधिक
9	59	डॉ. (श्रीमती) गीता चौधरी	F	प्रावधिक
10	98	डॉ. (श्रीमती) सुनीता शुक्ला	F	(विकलांग)
11	46	डॉ. संजय कुमार स्वर्णकार	M	प्रावधिक
12	143	डॉ. (श्रीमती) सुधा सोनी	F	प्रावधिक

स.क. रोल नम्बर नाम लिंग

अनुपूरक सूची (अनारक्षित)

1	54	डॉ. (श्रीमती) आरती वाजपेयी	F	
2	77	डॉ. (श्रीमती) ममता सिंह	F	
3	133	डॉ. (श्रीमती) मनीषा शर्मा	F	प्रावधिक
4	125	डॉ.(श्रीमती) रंजना शर्मा (व्यास)	F	
5	32	डॉ. बृजेश कुमार	M	प्रावधिक

अनुपूरक सूची (अनुसूचित जाति)

निरंक

अनुपूरक सूची (अनुसूचित जनजाति)


निरंक

अनुपूरक सूची (अन्य पिछड़ा वर्ग)

निरंक

टीप :-

1. अनुसूचित जाति संवर्ग के विज्ञापित पदों के विरुद्ध योग्य आवेदक उपलब्ध न होने के कारण पद रिक्त रहें हैं एवं अनुसूचित जनजाति संवर्ग के विज्ञापित पदों के विरुद्ध कोई आवेदक उपलब्ध न होने के कारण पद रिक्त रहे हैं तथा अ.पि.वर्ग संवर्ग हेतु विज्ञापित पद के विरुद्ध योग्य आवेदक उपलब्ध न होने के कारण इस संवर्ग के 01 पद रिक्त रहा है ।
2. अनुपूरक सूची के सरल क्रमांक 03 पर अंकित रोल न. 133 अभ्यर्थी का चयन न्यायालयीन प्रकरण होने के कारण माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय अध्यक्षीन रहेगा ।
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि आयोग के ध्यान में आती है तो आयोग के पास चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

  
(श्रीमती वंदना वैद्य)  
प्रभारी सचिव